भारत सरकार
गृह मंत्रालय
लोक सभा
अतारांकित प्रश्न संख्या 422
दिनांक 21 जुलाई, 2026 / 30 आषाढ़, 1948 (शक) को उत्तर के लिए

बच्चों द्वारा की गई आत्महत्याएँ

†422. श्री के. सी. वेणुगोपाल:

एडवोकेट डीन कुरियाकोस:

क्या गृह मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले पांच वर्षों के दौरान 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा की गई आत्महत्याओं का राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ख) क्या नाबालिगों में आत्महत्या की दर में वर्ष-दर-वर्ष निरंतर प्रतिशत वृद्धि हो रही है और यदि हाँ, तो इसका राज्य-वार ब्यौरा क्या है;
(ग) क्या सरकार ने युवाओं में इस वृद्धि के पीछे के प्राथमिक प्रणालीगत कारणों की पहचान करने के लिए कोई व्यापक अध्ययन किया है; और
(घ) बच्चों और किशोरों में बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट के समाधान और रोकथाम के लिए सरकार द्वारा विशेष रूप से क्या ठोस उपाय, विशिष्ट हेल्पलाइन अवसंरचना, या राष्ट्रीय संकट-हस्तक्षेप तंत्र लागू किए गए हैं?

उत्तर

गृह मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री नित्यानंद राय)

(क) और (ख): राष्ट्रीय अपराध रिकॉर्ड ब्यूरो (एनसीआरबी) राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त आत्महत्या से संबंधित मृत्यु के आंकड़ों का संकलन एवं प्रकाशन अपनी रिपोर्ट "भारत में आकस्मिक मृत्यु एवं आत्महत्याएं" में करता है। इस संबंध में प्रकाशित रिपोर्टें वर्ष 2024 तक उपलब्ध हैं। वर्ष 2021 से 2024 के दौरान 18 वर्ष से कम आयु के बच्चों द्वारा की गई आत्महत्याओं के राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार आंकड़े एनसीआरबी की वेबसाइट (http://ncrb.gov.in) पर उपलब्ध हैं। एनसीआरबी द्वारा इस श्रेणी के आंकड़ों का प्रकाशन वर्ष 2021 से प्रारंभ किया गया है।

(ग) और (घ): भारत सरकार के स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय द्वारा बच्चों एवं किशोरों के मध्य बढ़ते मानसिक स्वास्थ्य संकट की रोकथाम तथा मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:

i. राष्ट्रीय आत्महत्या रोकथाम रणनीति (National Suicide Prevention Strategy) नवंबर, 2022 में जारी की गई। यह रणनीति भारत में आत्महत्या की रोकथाम हेतु विभिन्न हितधारकों द्वारा किए जाने वाले प्रयासों के लिए एक समग्र रूपरेखा प्रदान करती है। इस रणनीति का उद्देश्य वर्ष 2030 तक देश में आत्महत्या से होने वाली मृत्यु दर में 10 प्रतिशत की कमी लाना है। इसमें प्रमुख हितधारकों की भूमिकाओं, प्रस्तावित कार्यवाहियों, कार्यान्वयन रूपरेखा तथा निगरानी तंत्र का भी उल्लेख किया गया है, जिससे आत्महत्या की रोकथाम हेतु एक प्रभावी कार्य-ढांचा उपलब्ध होता है।

ii. राष्ट्रीय चिकित्सा आयोग (National Medical Commission-NMC) की एंटी-रैगिंग समिति द्वारा फरवरी, 2024 में चिकित्सा विद्यार्थियों के मानसिक स्वास्थ्य एवं कल्याण से संबंधित विषयों पर अनुशंसाएं देने के लिए 15-सदस्यीय राष्ट्रीय कार्यबल (National Task Force) का गठन किया गया।

iii. देश में गुणवत्तापूर्ण मानसिक स्वास्थ्य परामर्श एवं उपचार सेवाओं तक पहुंच को सुदृढ़ बनाने के उद्देश्य से 10 अक्टूबर, 2022 को राष्ट्रीय टेली-मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Tele Mental Health Programme) प्रारंभ किया गया।

iv. विश्व मानसिक स्वास्थ्य दिवस के अवसर पर 10 अक्टूबर, 2024 को टेली-मानस (Tele-MANAS) मोबाइल एप्लिकेशन का शुभारंभ किया गया, जो मानसिक स्वास्थ्य संबंधी समस्याओं, मानसिक कल्याण से लेकर मानसिक विकारों तक, सहायता उपलब्ध कराता है। इसके अतिरिक्त, टेली-मानस के अंतर्गत उपलब्ध ऑडियो कॉलिंग सेवा को उन्नत करते हुए वीडियो परामर्श (Video Consultation) की सुविधा भी प्रारंभ की गई है।

v. देश में मानसिक विकारों के बढ़ते भार का प्रभावी ढंग से सामना करने के उद्देश्य से राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (National Mental Health Programme-NMHP) का कार्यान्वयन किया जा रहा है। इसके अंतर्गत जिला मानसिक स्वास्थ्य कार्यक्रम (District Mental Health Programme-DMHP) को 767 जिलों में लागू किए जाने की स्वीकृति प्रदान की गई है। इस कार्यक्रम के क्रियान्वयन हेतु राज्यों एवं संघ राज्य क्षेत्रों को राष्ट्रीय स्वास्थ्य मिशन (National Health Mission) के माध्यम से वित्तीय एवं तकनीकी सहायता उपलब्ध कराई जाती है।

vi. प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल स्तर पर मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को सुदृढ़ करने के उद्देश्य से 1.83 लाख से अधिक उप-स्वास्थ्य केन्द्रों (Sub Health Centres-SHCs) तथा प्राथमिक स्वास्थ्य केन्द्रों (Primary Health Centres-PHCs) को आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उन्नत किया गया है। व्यापक प्राथमिक स्वास्थ्य देखभाल (Comprehensive Primary Health Care) के अंतर्गत इन आयुष्मान आरोग्य मंदिरों में उपलब्ध कराई जाने वाली सेवाओं के पैकेज में मानसिक स्वास्थ्य सेवाओं को भी सम्मिलित किया गया है।

vii. देश में 47 सरकारी मानसिक चिकित्सालय संचालित हैं, जिनमें तीन केंद्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, अर्थात् राष्ट्रीय मानसिक स्वास्थ्य एवं स्नायु विज्ञान संस्थान (NIMHANS), बेंगलुरु, लोकप्रिय गोपीनाथ बोरदोलोई क्षेत्रीय मानसिक स्वास्थ्य संस्थान, तेजपुर (असम) तथा केंद्रीय मनोचिकित्सा संस्थान, रांची शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, सभी अखिल भारतीय आयुर्विज्ञान संस्थानों (AIIMS) में भी मानसिक स्वास्थ्य सेवाएं उपलब्ध कराई जा रही हैं।

इसके अतिरिक्त, भारत सरकार के शिक्षा मंत्रालय द्वारा जुलाई, 2023 में उच्च शिक्षा संस्थानों (Higher Education Institutions-HEIs) में अध्ययनरत विद्यार्थियों के भावनात्मक एवं मानसिक कल्याण के लिए एक व्यापक रूपरेखा जारी की गई। साथ ही, सभी केंद्रीय वित्तपोषित संस्थानों (Centrally Funded Institutions-CFIs) को उच्च शिक्षा संस्थानों में विद्यार्थियों के भावनात्मक एवं मानसिक कल्याण से संबंधित मुद्दों के समाधान हेतु उपयुक्त संस्थागत तंत्र विकसित करने के निर्देश दिए गए।
